क्रमांक नि.स./प्र.अ./3484002/2011
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर– 462 003

दूरभाष 2552646, 2552878 फैक्स 2552406, Email No encwrbpl@mp.nic.in

भोपालः दिनांक 19 मई, 2011

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता, बोधी
जल संसाधन विभाग,
कोलार कालोनी, भोपाल ।

2. समस्त मुख्य अभियंता,
————————कछार/परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
———————— मध्यप्रदेश ।

3. संचालक,
जल आंकड़ा केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

विषयः–वर्षा ऋतु के दौरान नाला क्लोजर कार्यों की निगरानी हेतु निर्देश ।

नाला क्लोजर के कार्यों की वर्षा ऋतु में सतत् निगरानी किया जाना नितांत आवश्यक है । अतः निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार कार्यवाही अपने स्तर से करने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करें :–

1/ बांध पर 24 घंटे न्यूनतम एक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

2/ बांध पर कार्यरत ठेकेदार से पर्याप्त रेत से भरी बोरियां एकत्र करवायें । यदि ठेकेदार व्दारा आपके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो स्वयं यह एकत्रीकरण करवायें जिसे बाद में ठेकेदार को देय राशि में काटा जावे ।

3/ टैंक गेज रजिस्टर बनायें जिसमे प्रत्येक दिन का टैंक गेज एवं रेन गेज की स्थापना कर वर्षा दर्ज करें ।

4/ जल स्तर 1/3 से अधिक होने पर उपयंत्री बॉध के एक छोर से दूसरे छोर तक बांध की डाउन स्ट्रीम टो पर सीपेज ड्रैन के किनारे –किनारे प्रतिदिन भ्रमण करेंगे तथा वापिसी में बांध की सर्विस रोड से लौटे ।

5/ किसी स्थान पर बांध के डाउन स्ट्रीम **slope** या **D/s toe** पर यदि रिसाव दृष्टि गोचर होता है तो फिल्टर लोडिंग करेंगे, रिसाव के स्थान से चारों ओर दो मीटर की परिधि में पहले 30 से.मी.रेत उसके, ऊपर 30 से.मी. गिट्टी तथा उसके उपर 60 से.मी. या उससे अधिक बोल्डर रखें ।

6/ स्पिल्वे की एप्रोच चेनल को पूर्णतः साफ रखेंगे, पूर्ण चौड़ाई एवं लम्बाई में बांध के डाउन स्ट्रीम में मुख्य नाला एवं अन्य नाले, जो 100 मीटर डाउन स्ट्रीम तक हों नाला बैंड में होने वाली बॉयलिंग या अन्य गतिविधियों पर सतत् निगाह रखें ।

कृ.प.उ....2

7/ कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 7.019 में निर्देशित है कि जहां तक संभव हो, नये जलाशय को प्रथम वर्ष बांध के नाला स्तर से 1/3 ऊँचाई से अधिक नहीं भरना चाहिए । अतः जल स्तर को प्रारंभ में एल.एस.एल पर ही रखने का प्रयास करें । सितम्बर के अंतिम सप्ताह में स्लूसगेंट बंद करके इसे निर्धारित लेविल तक भरने का प्रयास करें । पानी की आवक अधिक होने की स्थिति में स्लूसगेट से नहर को एफ.एस. एल. तक चलाकर एस्केप से पानी की निकासी करायें ।

8/ बांध पर आपात स्थिति (आकस्मिकता) से निपटने के लिये कम से कम 5 दैनिक वेतन भोगी चौकीदारों को औजार संयंत्र के साथ तैयार रखें । चार गैस पैट्रोमैक्स भी रखें ताकि रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर कार्य सुचारु रुप से किया जा सके ।

9/ उपयंत्री की सहायता हेतु एक स्थल सहायक तथा एक चौकीदार रखें ।

10/ आपातकालीन स्थिति (आकस्मिकता) की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 8.004 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

क– जिला कलेक्टर को संभावित क्षति तथा प्रभावित क्षेत्र की जानकारी देंगे, जिससे राहत हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा सके तथा निचले क्षेत्र के निवासियों को सूचित किया जा सके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, संभाग के कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री को सूचना देंगे ।

11/ सर्विसरोड, केनाल स्केप की सतत निगरानी भी सुनिश्चित करें ताकि क्षति से बचा जा सके ।

12/ जिले के अधिकारियों के फोन नम्बर सुलभ संदर्भ हेतु सदैव बांध स्थल पर उपलब्ध रखें ।

13/ जलाशय में अधिक जल स्तर पर होने पर किसी भी अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री का अवकाश स्वीकृत नही करें । उनका सदैव उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें ।

14/ उपयंत्रियों, अमीन, स्थल सहायक, चौकीदार आदि का ड्यूटी चार्ट कार्यपालन यंत्री अपने स्तर से तैयार करके उसकी एक प्रति अधीक्षण यंत्री को प्रेषित करें ।

15/ श्रमिकों के नियोजन की यदि विभागीय स्तर पर आपातकालीन आवश्यकता होती है तो तत्काल नियमानुसार श्रमिक नियोजित करें तथा प्रथम दिन की जानकारी विशेष वाहक से उसी दिन मुख्य अभियंता को उपलब्ध करायें ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल